न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/52/2022

अपीलांट विक्रमसिंह बालावत पुत्र चामुण्डसिंह
निवासी रामायाण कोट, गौमाताओं का चौक गांव पोस्ट मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश

दिनांक : 23.05.2022

अपीलार्थी विक्रमसिंह बालावत पुत्र चामुण्डसिंह निवासी रामायाण कोट, गौमाताओं का चौक गांव पोस्ट मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 941133 दिनांक 02.03. 2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में प्रकट किया कि वांछित सूचना अपीलांट को दे दी गई है और इस कार्यालय स्तर पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही बकाया या अपेक्षित नहीं है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाकर विधिसम्मत निस्तारण नहीं किया गया है इसलिये सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर